राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर
जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर
Phone & Fax-0141- 2222403/2223239 web- www.lsgraj.org E-mail ID dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांकः एफ 55 ( ) पीए/सीई/डीएलबी/हीटवेव/2025/26897-27132 दिनांक : 09/04/2025

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
समस्त राज.।

विषयः– ग्रीष्म ऋतु में हीटवेव की स्थिति के प्रभावी शमन और प्रवन्धन के लिए लू एवं ताप से बचाव के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पूर्व समसंख्यक पत्रांक 26511–806 दिनांक 08.04.2025 के कम में।

....

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य में वर्ष 2025 में हीटवेव की स्थिति के प्रभावी शमन और प्रबन्धन हेतु विभागीय पूर्व प्रांसगिक पत्र के माध्यम से दिशा–निर्देश (एडवाइजरी) जारी किये गये है। हीटवेव की स्थिति को देखते हुए निकाय क्षेत्रों में निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु पुनः निर्देश जारी किये जाते हैं :–

1. गर्मी से असुरक्षित आबादी/स्थानों (यथा सामान्य भीड़–भाड़ वाले क्षेत्र, बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन एवं रिक्शा स्टेण्ड इत्यादि) का चिन्हिकरण कर, वहां पर आश्रय गृह/स्थल बनाये जावे।
2. उक्त आश्रय गृह/स्थल के साथ ही पूर्व से संचालित आश्रय स्थलों में भी सुविधाएं यथा पंखा/कूलर, पर्याप्त मात्रा में पीने योग्य पानी, ओआरएस के पैकेट इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।
3. उक्त चिन्हित स्थानों पर नजदीकी राजकीय चिकित्सा सुविधाओं/अस्पतालों के नाम एवं संपर्क नम्बर का पूर्ण विवरण प्रदर्शित करना सुनिश्चित किया जावे।
4. निकाय क्षेत्रों में आवागमन वाले स्थलों यथा बस स्टेण्ड, रेलवे स्टेशन, भीड–भाड वाले बाजार इत्यादि पर भी छाया की समुचित व्यवस्था की जाकर पीने योग्य पानी, ओआरएस के पैकेट इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
5. पक्षियों के लिए शहरी क्षेत्रों में जहां पक्षियों की आवाजाही अधिक रहती है वहां एवं पेड़ों पर आवश्यकतानुसार दाना–पानी के लिए पात्र की व्यवस्था की जावें। उक्त

कार्यो के संबंध में आवश्यकतानुसार स्थानीय दानदाता–भामाशाह/सामाजिक संस्थाओं एवं लोगों को प्रेरित कर उनका सहयोग लिया जा सकता है।

6. प्रत्येक निकाय में जगह–जगह पर सर्वे किया जाकर आवारा पशुओं हेतु खेलिया रखी जावें तथा प्रत्येक दिन उसमें पानी भरने की व्यवस्था की जावें ताकि आवारा पशु भीषण गर्मी के दिनों में प्यासे नहीं रहें।
7. हीटवेव से संबंधित जिंगल को प्रचार–प्रसार हेतु कचरे की गाड़ी पर चलाया जाना सुनिश्चित करें।
8. भीषण गर्मी के कारण आग लगने की संभावनाओं को देखते हुए अग्निशमन व्यवस्था को त्वरित कार्यवाही हेतु कियाशील रखे।
9. निकाय क्षेत्र में अत्यधिक गर्मी के दौरान मुख्य आवागमन वाली सड़को पर पानी का छिडकाव किया जावें।

अतः हीटवेव के संबंध में उक्त समस्त बिन्दुओं की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावें।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः एफ 55 ( ) पीए/सीई/डीएलबी/हीटवेव/2025/27193-238 दिनांक : 09/04/2025
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलक्टर, समस्त राज.।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राज.।
7. एनालिस्ट कम कम्प्यूटर प्रोग्रामर, आईटी सेल, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव